भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1520

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2022

24 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया जाना है।

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की बिक्री

1520 श्री कपिल सिब्बल:

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय अनुभव तथा क्षमता का मूल्यांकन किया है, जिसे सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) को बेचने की मंशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) उन मानदंडों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर सभी संभावित खरीदारों का मूल्यांकन किया गया था और जिनके आधार पर मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था;

(घ) मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) के मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) और (ख): सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से संबंधित रणनीतिक निवेश की उचित प्रक्रिया के अनुसार, पीआईएम/ईओआई में निर्धारित निवल मूल्य (50 करोड़ रुपये) के मानदंडों के आधार

पर पारदर्शी तरीके से खुली बोलियां आमंत्रित की गई थीं। बोलीदाता का तकनीकी और प्रबंधकीय अनुभव प्रासंगिक मानदंडों में से नहीं है। यह सरकार की विनिवेश नीति का एक भाग है कि बोलीदाता जगत का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय अनुभव को बोलीदाताओं के लिए अर्हता मानदंड नहीं बनाया जाए और उन्हें एक समान अवसर प्रदान किया जाए। इसके अलावा, सही संसाधनों और उद्यमशीलता वाले निवेशक विनिवेश की जाने वाली कंपनी के प्रबंधकों और कर्मचारियों की सहायता से साथ ही अतिरिक्त नियुक्ति के माध्यम से किसी भी व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। सीईएल को चल रही कंपनी के आधार पर विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि विशेषज्ञों/पेशेवरों सहित मौजूदा कर्मचारी बने रहेंगे।

(ग): सीईएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया दिनांक 27.10.2016 को सीसीईए के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन से शुरू की गई। सीईएल के रणनीतिक विनिवेश का पहला प्रयास सफल नहीं हुआ चूंकि कोई वित्तीय बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

दिनांक 03.02.2020 को पात्रता मानदंड के आधार पर प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) और रूचि की अभिव्यक्तियां (ईओआई) को जारी करके प्रक्रिया की पुन: शुरूआत की गई थी। कोविड-19 की विद्यमान स्थितियों के कारण रूचि की अभिव्यक्ति को जमा करने की अंतिम तारीख को दिनांक 15.07.2020 तक कई बार बढ़ाया गया। बढ़ाई गई अंतिम तारीख (15.07.2020) तक तीन ईओआई प्राप्त हुई थी। सभी बोलीदाताओं को सौदा सलाहकार द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध किया गया था। वैकल्पिक तंत्र (एएम), सीसीईए द्वारा शक्तिसंपन्न मंत्रियों के समूह, द्वारा दिनांक 07.01.2021 को एसपीए और आरएफपी का अनुमोदन किया गया था जिसके बाद सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने के प्रोफार्मा के साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को निगर्मित करने के लिए सौदा सलाहकार (टीए) के साथ अनुमोदित आरएफपी और एसपीए साझा किया गया था।

संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को वर्चुल डाटा रूम (वीडीआर) तक पहुंच प्रदान की गई थी जिसके माध्यम से सीईएल द्वारा अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को व्यापक जानकारी प्रदान की गई थी उन्हें सौदे के भाग के रूप में पेशकश की गई परिसंपत्तियों और सुविधाओं की जांच तक भी पहुंच प्रदान की गई थी। बड़ी संख्या में बोलीदाताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। उचित उद्यमिता की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद दिनांक 17.02.2021 को सौदा सलाहकार द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को सुरक्षा अनापत्ति प्रारूप के साथ अनुमोदित आरएफपी और एसपीए जारी किया गया था, जिसको जमा करने की अंतिम तारीख 10 मार्च, 2021 थी। अंतिम एसपीए में विस्तृत निबंधन एवं शर्तें और बंदीकरण से पूर्व बोली प्रस्तुत करने से पहले

बनी सहमति पर सरकार की गारंटी को छोड़ने के साथ सौदे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के संबंध में उत्तरदायित्व निहित हैं।

कोविड-19 से उत्पन्न अवरोधों के चलते और बोलीदाताओं के अनुरोध पर वित्तीय बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को इसके बाद 12 अक्तूबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। अंतिम तारीख तक दो अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से गैर-वित्तीय बोली दस्तावेजों और धरोहर राशि के साथ दो मुहरबंद बोलियां प्राप्त हुई थी।

मुहरबंद वित्तीय बोलियों की प्राप्ति के बाद और रणनीतिक विनिवेश के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसरण में, सौदा सलाहकार (टीए) और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता (एवी) द्वारा स्थापित क्रियावधि के अनुसार, संबंधित पद्धति का उपयोग करते हुए, मूल्यांकन के आधार पर एक 'आरक्षित मूल्य' तय किया गया था। आरक्षित मूल्य के स्वतंत्र निर्धारण के बाद, पहले से प्राप्त मुहरबंद वित्तीय बोलियां बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गईं, जो इस प्रकार थीं :

(i) मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
(ii) मैसर्स जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

दो मूल्य बोलियों में से उच्चतम बोली लगाने वाले मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बोली आरक्षित मूल्य से अधिक पाई गई। सीसीईए द्वारा शक्तिसंपन्न वैकल्पिक तंत्र (एएम), जिसमें माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग, माननीय वित्त मंत्री और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल हैं, ने विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) और अंतर-मंत्रालय समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 29.11.2021 को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री के लिए मैसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली को अनुमोदन प्रदान किया था। इसके बाद, सीईएल कर्मचारी संघ की ओर से कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ आरोपों की कानूनी जांच लंबित रहने तक, आईएमजी ने आशय पत्र (एलओआई) पर रोक लगाने का फैसला किया है। तदनुसार, अभी तक एलओआई जारी नहीं किया गया है।

(घ): सौदा सलाहकार द्वारा सत्यापित दस्तावेजों के अनुसार, पीआईएम/ईओआई के अनुसार 50 करोड़ रुपये के निवल मूल्य मानदंड के विरूद्ध दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सफल बोलीदाता का निवल मूल्य लगभग 143 करोड़ रुपये है।

(ङ.): सर्वोत्तम बाजार परिपाटियों, पूर्ववर्ती विनिवेश आयोग की सिफारिशों और दीपम के मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मामले की विशेष परिस्थितियों में व्यवहार्यता और प्रयोज्यता के अधीन सीपीएसई के मूल्यांकन के लिए आमतौर पर चार पद्धतियां नियोजित की जाती हैं, नामत: डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड (डीसीएफ), बैलेंस शीट मेथड, मार्केट मल्टीपल मेथड और एसेट वैल्यूवेशन मेथड। जबकि पहली तीन व्यवसाय मूल्यांकन पद्धतियां हैं जो आम तौर पर विनिवेश के लिए एक चल रही कंपनी के रूप में उपयोग की जाती हैं और सौदा सलाहकार द्वारा उपयोग की जाती हैं, निवल परिसंपत्ति मूल्य (परिसंपत्तियों का मूल्य घटा भिन्न देनदारियां) पर पहुंचने के लिए परिसंपत्ति मूल्यांकन दृष्टिकोण एक कंपनी बंदीकरण/परिसमापन के मामले में प्रासंगिक है और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। वर्तमान सौदे में, पेशेवर सलाहकारों (सौदा सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता) द्वारा इक्विटी मूल्य के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड (डीसीएफ), बैलेंस शीट मेथड और एसेट वैल्यूवेशन मेथड का उपयोग किया गया है।

डीसीएफ पद्धति आमतौर पर 'चल रही कंपनी' के लिए प्रयुक्त होने वाली पद्धति है, क्योंकि यह किसी व्यवसाय के वर्तमान मूल्य को इसकी भावी नकद अर्जन क्षमता के कार्य के रूप में उचित छूट दर लागू करके इसके वर्तमान मूल्य पर छूट को व्यक्त करती है। मूल्यांकन की इस पद्धति से प्राप्त इक्विटी का मूल्यांकन 193.98 करोड़ रुपये था।

बैलेंस शीट पद्धति किसी व्यवसाय को उसकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के बही मूल्य के आधार पर महत्व देती है। जबकि यह पद्धति उस धनराशि पर विचार करती है जो किसी व्यवसाय में ऐतिहासिक रूप से व्यय और अर्जित की जाती है, यह परिसंपत्तियों की अर्जन क्षमता पर विचार नहीं करती है और इसलिए, कभी कभार ही किसी चल रही कंपनी का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा, परिसंपत्तियों का बही मूल्य और देनदारियां परिसंपत्तियों और देनदारियों के बाजार मूल्य से काफी भिन्न हो सकता है। बैलेंस शीट पद्धति के अनुसार, सीईएल के मामले में इक्विटी का मूल्यांकन 111.23 करोड़ रुपये था।

परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति अनिवार्य रूप से व्यवसाय की प्रतिस्थापन लागत या कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को बेचकर और देनदारियों का भुगतान करके व्यवसाय को समाप्त करने के मूल्य का अनुमान लगाती है। निवल परिसंपत्ति मूल्य की गणना के लिए, बैंक ऋण, सरकारी ऋण, वर्तमान देनदारियों (व्यापार लेनदारों, गैर-व्यापारिक लेनदारों, आकस्मिक देनदारियों और वैधानिक देनदारियों) सहित बैलेंस शीट पर सभी उधारों के निपटान जैसी देनदारियां, और कुछ अन्य क्लोजर संबंधित देनदारियों जैसे कि सभी कर्मचारियों के लिए अनुमानित वीआरएस लागत, पूंजीगत लाभ कर देयता को परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से समायोजित (कम) किया जाता

है। परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति व्यवसाय के परिसमापन/बंद होने के मामले में उपयोगी है और आमतौर पर "चल रही कंपनी" के आधार पर बिक्री के लिए उपयोग नहीं की जाती है। सीईएल के मामले में, रणनीतिक विनिवेश "चल रही कंपनी" के आधार पर होता है ताकि कंपनी के कर्मचारी रोज़गार में बने रहें और कंपनी व्यवसाय में बनी रहे। वास्तव में, रणनीतिक अधिग्रहणकर्ता की ओर से कर्मचारी सुरक्षा, परिसंपत्ति अलग करना और व्यवसाय जारी रखने से संबंधित दायित्व हैं।

हालांकि, निर्धारित नीतियों के अनुसार, पेशेवर परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा परिसंपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति के अनुसार, सीईएल के निवल परिसंपत्ति के मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य से, पेशेवर परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने अचल परिसंपत्तियों (भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और अन्य सभी परिसंपत्तियों) का मूल्य 251.45 करोड़ रुपये; और चालू परिसंपत्तियों, गैर-चालू परिसंपत्तियों, नकद शेष, पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्य 330.99 करोड़ रुपये मूल्यांकित किया है। जहां तक भूमि के मूल्यांकन का संबंध है, सीईएल के पास साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 2,41,614 वर्ग गज पट्टे पर दी गई (लीजहोल्ड) भूमि है। यह भूमि सोलर पीवी मॉड्यूल और सिस्टम के विनिर्माण के लिए 28.02.1975 से यूपीएसआईडीसी से 90 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी। करीब 46 साल के पट्टे की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। लगभग 44 वर्षों की शेष पट्टा अवधि को संबद्ध भूमि के पट्टेदार के ब्याज के बाजार मूल्य की गणना के लिए लिया गया है। बैंक और सरकारी उधार, वर्तमान देनदारियों और अन्य देनदारियों सहित कंपनी की देनदारियों का मूल्य 409.56 करोड़ रुपये था, जिसे परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति के अनुसार, इसकी परिसंपत्तियों के मूल्य से घटा दिया गया था। इक्विटी के मूल्यांकन की इस पद्धति से प्राप्त मूल्यांकन 172.87 करोड़ रुपये था।

आईएमजी ने सभी प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार करने के बाद, मूल्यांकन की डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके 194 करोड़ रुपए के 'आरक्षित मूल्य' की सिफारिश की। जिस पर विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख समूह द्वारा विधिवत विचार किया गया और अनुमोदित किया गया। यह नोट किया जाए कि वित्तीय बोलियों को खोलने के बाद, खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त उच्चतम मूल्य बोली 210.006 करोड़ रुपये की थी, जो आरक्षित मूल्य से काफी अधिक थी।

***